संख्याः 1725 /XXIV-3/09/02(52)/2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 06 नवम्बर,2009

विषयः– **राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट)हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/49482/5क–01(03)/2009–10 दिनांक 21 अक्टूबर,2009 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित दिवरणानुसार राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट) में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मासिक मानदेय के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू0 2.00 लाख(रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/सुसंगत शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

5– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड– पॉच भाग–1 (लेखा नियम) आय– व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः...2

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2202 –सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 004– अनुसंधान एवं प्रशिक्षण – 03–सीमैट की स्थापना के अधीन संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशाराकीय संख्याः 517(P)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009, दिनॉक 06.11.2009में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 1725(1) /XXIV-3/09/02(52)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव,विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– अपर निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0,नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल ।
8– अपर निदेशक,राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट) उत्तराखण्ड ।
9– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड ।।
13– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
14– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
16– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

प्रशासनिक विभाग –सचिव,विद्यालयी शिक्षा   वित्तीय वर्ष 2009–10   अनुदान संख्या–11   आयोजनागत
धनराशि (हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधि व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 004–अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 03–सीमेट की स्थापना				2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 004–अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 03–सीमेट की स्थापना			सीमेट में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को उनकी सेवाओं का भुगतान माह जुलाई,2009 से बजट के अभाव में नहीं हो पाया है।
07 मानदेय 200	0	0	200	10 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 200	400	0	
सम्पूर्ण योग 200	0	0	200	सम्पूर्ण योग 200	400	0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्याः 517 (P)/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009
देहरादून, दिनांक 06 नवम्बर,2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(आर0सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 1725/XXIV-3/09/02(52)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक,विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव।